न्यायालय, श्री अशोक कुमार मांझी, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–षष्ठम –सह–विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट), सीतामढी।

विचारण संख्या 216/2025, परसौनी थाना कांड संख्या 117/2024

आदेश दिनांक 15.05.2026 **पेज नं0 1**

अमरेन्द्र कमार बनाम बिहार सरकार

आ दे श

विचारण के एकमात्र अभियुक्त अमरेन्द्र कुमार की हाजरी दी गई।

अभिलेख आदेश हेतु प्रस्तुत हुआ। वाद पुकारा गया। पुकार पर अभियुक्त साथ बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता न्यायालय मे उपस्थित हुए। अभियोजन पक्ष की ओर से दाखिल आवेदन अंतर्गत धारा 91, द0प्र0स0 दिनांक 10.04.2026 एवं बचाव पक्ष के प्रतिउत्तर दिनांक 24.04.2026 पर उभयपक्षों को सुना। अभियोजन का कथन है कि अभियोजन साक्षी संख्या 8 ने अपने साक्ष्य के कंडिका 5 मे केस दैनिकी के उल्लेखित पारा 16 मे सनहा संख्या 86/24 का उल्लेख की है जिसे न्यायहित मे प्रदर्श मे आना अति आवश्यक है, जिस हेतु माननीय न्यायालय मे सनहा रजिस्टर उपलब्ध कराना आवश्यक है।

दूसरी ओर बचाव पक्ष ने अभियोजन पक्ष के द्वारा दाखिल उपरोक्त आवेदन अंतर्गत धारा 91, द0प्र0स0 दिनांक 10.04.2026 का प्रतिउत्तर दाखिल किया गया। बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि अभियोजन पक्ष की ओर से दिनांक 11.02.2026 को कार्यवाही समाप्त कर दी गई थी, उसके बाद अभियुक्त का बयान धारा 313, द0प्र0स0 के तहत दर्ज किया गया, अभियुक्त ने अपने बचाव मे दस्तावेज प्रस्तुत किए और कार्यवाही समपप्त कर दी गई तथा मामले की बहस दिनांक 10.04.2026 को तय की गई। जांच अधिकारी सन्हा संख्या 86/2024 की सत्यता की पुष्टि करने के लिए विद्यालय पहुंचे तब सन्हा के समर्थन मे किसी ने भी कोई आवेदन या फर्दब्यान नहीं दिया। सम्पूर्ण अभियोजन साक्ष्य मे यह खुलासा नहीं किया गया कि सन्हा संख्या 86/2024 किसने दी थी। इसके अलावा गवाह संख्या 8 ने पैरा 5 मे बयान दिया है कि सन्हा किसने दी थी, इसको खुलासा केस डायरी मे नहीं है। जब तक सन्हा के तथ्य का समर्थन करने के लिए व्यक्ति का नाम समाने नहीं आता तब तक यह अप्रासंगिक हो जाता है कि उपर्युक्त सन्हा मे सत्य का अंश भी है। कानून अभियोजन पक्ष को बिना किसी कानूनी कारण के मामले की अंतिम सुनवाई के समय अभियोजन मामले को फिर से खोलने का अधिकार प्रदान नहीं करता है। अतः बचाव पक्ष इसे खारिज करने का निवेदन करते हैं।

अभियोजन पक्ष के द्वारा दाखिल आवेदन दिनांक 10.04.2026 एवं बचाव पक्ष की ओर से दाखिल प्रत्युत्तर दिनांक 24.04.2026 पर उभयपक्षों को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से यह विदित है कि इस वाद में अभियोजन साक्षी संख्या 8 जो वाद के अनुसंधानकर्त्ता है अपने प्रतिपरीक्षण के पारा 5 मे स्पष्ट रूप से सन्हा संख्या 86/2024 दिनांक 03.08.2024 के आलोक मे परि0 पु0अ0नि0, थानाध्यक्ष, अन्य दो पदाधिकारी व सशस्त्र बल के साथ थाने से प्रस्थान किये, जहां राजकीय आदर्श म0 विद्यालय के प्रधानाध्यापक अमरेन्द्र कुमार के द्वारा विद्यालय के छात्रों के साथ छेड़छाड़ की घटना को लकर सीनियर लोग काफी उग्र होकर विद्यालय मे प्रधानाध्यापक का घेराव किये थे। अतः सनहा वाद का मुख्य आधार है, इसलिए इस वाद में सन्हा संख्या 86/2024 का वाद मे आना न्यायहीत मे आवश्यक प्रतीत होता है।

अतः अभियोजन द्वारा दाखिल आवेदन दिनांक 10.04.2026 को स्वीकृत किया जाता है। अभियोजन को निर्देश दिया जाता है कि संबंधित थाना से सनहा संख्या 86/2024 की मांग अगली दो नियत तिथियों तक करें।

दिनांक 29.05.2026 वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु।

लेखापित एवं शुद्धिकृत,

Ashok Kumar Manjhi

[अशोक कुमार मांझी]
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–षष्ठम्
–सह–विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट),
सीतामढी
दिनांक 17.04.2026.